

फर्द अहकाम  
(नियम 20)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
दलीप कुमार वगैरा बनाम लालचन्द वगैरा

किरम मुकदमा-वाद पत्र 88 RTA

नम्बर 190/2023



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इतिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम का तारीख में जारी हुए
18.05.2023	<p>अधिवक्ता वादीगण की ओर से वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 88 RTA आज महंगाई राहत कैम्प एवं प्रशासन गांव के संग अभियान 2023 कैम्प चक हीरासिंहवाला में प्रस्तुत किया। वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। वादीगण दलीप कुमार व मोहन लाल पुत्रगण लालचन्द जाति जाट निवासी नगराना एवं प्रतिवादीगण लालचन्द पुत्र हेतराम जाति जाट साकिन नगराना व कविता पत्नी दिनेश कुमार पुत्री लालचन्द जाति जाट साकिन निरवाना तहसील सूरतगढ़ के मध्य राजीनामा हुआ दोनो पक्ष उप. आये। वादीगण की पहचान श्री नक्षत्र सिंह सिद्ध एड. ने तथा प्रतिवादीगण की पहचान श्री चरणजीत सिंह सिद्ध एड. ने की। राजीनामा दोनो पक्षो को पढ़कर सुनाया सुन समझ सही मानकर अपने-अपने अगूठे/हस्ताक्षर किये। राजीनामा प्रमाणित होकर शामिल मिसल किये। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से जवाब स्टेट पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया। साक्ष्य वादी में वादी संख्या 2 मोहन लाल का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश कर दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त जो शामिल मिसल हो।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया वादीगण ने मुताबिक राजीनामा चक 1 एमएमके खाता संख्या 117/99 खाता लालचन्द ज.स. 2071-2074 आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 लालचन्द पुत्र हेतराम के नाम दर्ज आराजी चक 1 एमएमके प.न. 169/195 मु.न. 24 किा नं. 17/1, 18, 19/1, 22/1, 23,24 कुल 1.3710 है. प.न. 169/196 मु.न. 28 किला नं. 2/1, 2/2, 3/1, 8,9, 10/1, 11/1, 20/1, 21/3 कुल 1.014 है. नहरी, गै.मु. खाला 0.050 है. कुल नहरी 2.435 मय गै.मु. खाला के वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लालचन्द पुत्र हेतराम बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने की इस्तदुआ की। प्रतिवादीगण 1 ता 2 जो वादीगण के पारिवारिक सदस्य है उन्होने अपना राजीनामा सीपीसी आ.23 नि. 3 के तहत पेश किया गया।</p> <p>मुताबिक वाद पत्र एवं राजीनामा के उक्त दावा स्वीकार किया जाता है कि चक 1 एमएमके खाता संख्या 117/99 खाता लालचन्द ज.स. 2071-2074 आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 लालचन्द पुत्र हेतराम के नाम दर्ज आराजी वादी संख्या 1 दलीप कुमार को 1/3 हिस्से का वादी संख्या 2 मोहन लाल को 1/3 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 1 लालचन्द पुत्र हेतराम को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है उपरोक्तानुसार प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा राजस्व रिकार्ड में इस हद तक कम किया जाता है।</p> <p>तहसीलदार राजस्व संगरिया, पालना करे तथा राजस्व रिकार्ड रिकार्ड जमाबन्दी में उक्तानुसार नवीन प्रविष्टि जरिए नामांतरकरण दर्ज करें।</p> <p>निर्णय कैम्प चक हीरासिंह वाला (प्र.गां. के संग/महंगाई राहत कैम्प 2023 में सुनाया, लिखा गया। पत्रावली फैंसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर की जावे। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।</p>	<p>माल चक कविता मोहनलाल दलीप कुमार</p>

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023  
शिविर प्रभारी (SDO)  
शिविर स्थल... (संगरिया सिंघवाला)